


सीमित निविदा

राजस्थान इकाई में अफीम फसल वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों से अफीम गोदाम, चित्तौड़गढ़ तथा नीमच फैक्ट्री (म0प्र0) तक सुरक्षित रूप से पहुँचाने हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है।

साथ ही चित्तौड़गढ़ अफीम गोदाम से गाजीपुर फैक्ट्री (उ0प्र0) में अफीम के कन्टेनरों को बंद ट्रकों द्वारा सुरक्षित रूप से पहुँचाने हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। जिसकी दर एवं विवरण, शर्तों सहित निविदा में अलग से दर्शाये।

नियम एवं शर्तें

1. विभाग को 5 से 6 बंद ट्रकों की आवश्यकता होगी। ट्रक कंटेनर 30" फीट लम्बाई का होना चाहिए, जो पूरी तरह से बंद हो, जिसके दरवाजे पर ताला लगा कर सीज किया जा सके। ट्रक की टूट-फूट, रिपेयर की जिम्मेवारी स्वयं पार्टी की होगी। सभी ट्रकों पर जी0पी0एस0 (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) इन्स्ट्रूमेन्ट लगा होना अनिवार्य है।
2. निविदा में ट्रक किराया प्रतिदिन प्रति ट्रक एवं डीजल किलोमीटर/प्रति लीटर के अनुसार देना होगा, जिस पर "अफीम तौल कार्य हेतु बंद ट्रकों की निविदा" अंकित होना चाहिए निविदा में लागू सर्विस टैक्स व अन्य टैक्स अलग-2 कर दर्शाए होने चाहिए। चित्तौड़गढ़ गोदाम से गाजीपुर अफीम फैक्ट्री तक कंटेनर भेजने हेतु ट्रक के किराये का ब्योरा अलग से दर्शाये।
3. निविदादाता अपनी मोहर बंद निविदा इस कार्यालय में दिनांक 18.03.2016 को 11.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं जिसे दिनांक 18.03.2016 को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 16.00 बजे खोला जाएगा।
4. निविदादाताओं को निविदा के साथ धरोहर राशि रूपये 25000/- का बैंक ड्राफ्ट जो **अधीक्षक (कार्यपालक) केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा** के नाम देय हो, संलग्न करना होगा। सफल निविदादाता को सेवा कर जमा कराने के प्रमाण प्रस्तुत करने पर अमानत राशि वापस की जाएगी।
5. सभी केन्द्रों पर अफीम तौल कार्य एक साथ आरम्भ होगा, जो माह अप्रैल 2016 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होने की संभावना है। अफीम तौल केन्द्र भी बदले जा सकते हैं। अफीम तौल केन्द्रों एवं कार्य आरम्भ होने की तिथि की सूचना फर्म को पूर्व में ही दे दी जायेगी।
6. टोल टैक्स का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा, जिसका भुगतान मूल बिल प्रस्तुत करने पर विभाग से प्राप्त किया जा सकेगा।
7. नोडल बिन्दु कार्यालय जिला अफीम अधिकारी झालावाड़, चित्तौड़गढ़ - III, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ होगा। आपको सभी ट्रक आदेशानुसार कार्यालय जिला अफीम अधिकारी झालावाड़, चित्तौड़गढ़ - III, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ के अफीम तौल केन्द्र, झालावाड़, निम्बाहेडा, जिंगोलीश्याम, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं छोटी सादड़ी में निर्धारित समय एवं दिनांक पर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने होंगे। कार्य समाप्ति पर ट्रक अफीम गोदाम चित्तौड़गढ़ अथवा अफीम फैक्ट्री नीमच/गाजीपुर से ही रीलीज कर दिये जायेंगे।
8. इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस कार्यालय में 10.00 बजे से दोपहर 04.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।
9. यदि निविदादाता द्वारा निश्चित समय तक ट्रक उपलब्ध नहीं कराया जाता है अथवा परिवहन के दौरान ट्रक खराब हो जाता है एवं निविदादाता द्वारा तुरन्त समाधान नहीं करने पर विभाग को यह अधिकार होगा कि वह कार्य निष्पादन हेतु किसी भी स्थानीय फर्म से ट्रक भाड़े पर लेवे तथा इस संबंध में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा।
10. वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाईसेंस व वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन व इन्श्योरेंस होना अनिवार्य है।
11. ट्रक का वाहन चालक व क्लीनर नशे का आदी नहीं होना चाहिए।
12. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किए जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटौती की जा सकती है एवं धरोहर राशि भी जप्त की जा सकती है।
13. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा।
14. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही कोटा न्यायालय के अधीन होगी।
15. सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होंगे।




(दिनेश ब्रौद्ध)
उप नारकोटिक्स आयुक्त
कोटा, राजस्थान

मैसर्स

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

16. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को विभाग की वेब साईट www.cbn.nic.in पर देने का श्रम करें।
17. जिला अफीम अधिकारी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़- I/ III, भीलवाड़ा प्रतापगढ़ को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मों को सूचित करें।


अधीक्षक (प्रशासन)
कोटा, राजस्थान